उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 1064

==========

गुरुदेव शरण तिवारी, पिता- श्री नरबदेश्वर तिवारी @ नरबदेश्वर नाथ तिवारी, निवासी- ग्राम- अम्ही मिश्रा, पोस्ट- दुबे जिगिना, थाना- भोरे, जिला- गोपालगंज बिहार।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. कलेक्टर गोपालगंज, जिला- गोपालगंज (बिहार) के माध्यम से बिहार राज्य
2. नरबदेश्वर नाथ तिवारी, पिता- स्वर्गीय मुक्ति नाथ तिवारी, निवासी- ग्राम- अम्ही मिश्रा, पोस्ट- दुबे जिगिना, थाना- भोरे, जिला-गोपालगंज।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री संजय कुमार पांडे सं. 5, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री आर. पी. एन. तिवारी, एससी 25 के एसी

ओ. पी. संख्या 2 की ओर से : श्री उदार प्रताप सिंह, अधिवक्ता

==========

भारतीय संविधान---अनुच्छेद 227--- *सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-- आदेश VI नियम 17--- दलीलों में संशोधन--- वसीयत और प्रोबेट--- प्रोबेट न्यायालय का अधिकार क्षेत्र--- विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जिसके तहत प्रोबेट याचिका की अनुसूची में कुछ संपत्तियों को शामिल करने की मांग करने वाले संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था--- दलील कि संशोधन की योग्यता पर विचार करते हुए संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था जो मुद्दों के निर्धारण से पहले के चरण में स्वीकार्य नहीं है--- निर्णय: न्यायालय को पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने के लिए सशक्त किया गया है---- प्रोबेट न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इस बात पर विचार करने तक सीमित है कि वसीयत वास्तविक है, इसे वसीयतकर्ता द्वारा स्वस्थ मानसिक स्थिति में निष्पादित किया गया है, क्या वसीयत को विधिवत् सत्यापित किया गया है और वसीयत को विधिवत् निष्पादित किया गया है --- प्रोबेट न्यायालय के लिए वाद संपत्तियों के स्वामित्व या संपत्तियों के अस्तित्व के प्रश्न का निर्धारण करना सक्षम नहीं है और इस कारण से प्रोबेट याचिका के साथ संलग्न अनुसूची में संपत्तियों को जोड़ना या घटाना अधिक महत्व नहीं रखता है --- प्रस्तावित संशोधन का प्रोबेट के विषय-वस्तु से कोई लेना-देना नहीं है जो कि वसीयत है जिसमें संपत्तियों का कोई विवरण नहीं दिया गया है - विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है --- सिविल विविध याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 2, 4, 7, 8)*

(2008) 4 एससीसी 300, (1953) 1 एससीसी 295 ***.....पर भरोसा किया गया***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तिथि: 06-05-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान वकील को दाखिल करने के बिंदु पर सुना और मैं वर्तमान याचिका को दाखिल करने के चरण में ही निष्पादन का इरादा रखता हूं।

2. याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा मामला संख्या 9 सन् 2016 में गोपालगंज के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-VIII द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल याचिका दायर की है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-VIII, गोपालगंज, ने याचिकाकर्ता की ओर से परिवीक्षा मामले की वाद पत्र की अनुसूची में संशोधन के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता पायहारी शरण तिवारी द्वारा निष्पादित एक वसीयत का उत्तराधिकारी है जो एक पंजीकृत वसीयत है। उक्त वसीयत एक खुला विलेख है और इसमें संपत्तियों की कोई अनुसूची नहीं है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका की अनुसूची में संपत्ति के विवरण के साथ दिनांकित वसीयत के प्रोबेट के अनुदान के लिए प्रोबेट केस नंबर 9 सन् 2016 दायर किया और विरोधी पक्ष संख्या 2 नरबदेश्वर नाथ तिवारी पेश हुए और 17.09.2016 पर अपना लिखित

बयान दर्ज कराया। विरोधी पक्ष संख्या 2 की उपस्थिति के बाद, प्रोबेट मामले को एक वसीयती मुकदमे में बदल दिया गया है। उक्त मुकदमे में मुद्दे नहीं बनाए गए हैं। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने परिवीक्षाधीन मामला संख्या 9 सन् 2016 की वाद पत्र की अनुसूची में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत एक याचिका दायर की। प्रोबेट मामले की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों में खाता संख्या 51, प्लॉट संख्या 153, जिसका क्षेत्रफल 2 *कट्ठा* 14 *धुर* है, को इसमें जोड़ना तथा प्लॉट संख्या 374 का क्षेत्रफल 5 *धुर* 10 *धुरकी* से बदलकर 8 *धुर* करना शामिल है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे ही याचिकाकर्ता को प्रोबेट मामला दायर करने के बाद इन तथ्यों के बारे में पता चला, उन्होंने पहली बार में ही इन तथ्यों को अदालत के ध्यान में लाया और वाद पत्र की अनुसूची में संशोधन की मांग की। संशोधन आवेदन का प्रत्युत्तर विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा दायर किया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद पत्र की अनुसूची में संशोधन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

4. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश कानून की नजर में बुरा है। विद्वान निचली अदालत ने संशोधन की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार नहीं किया और केवल एक संशोधन के संबंध में आदेश पारित किया है। इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि विपरीत पक्ष संख्या 2 द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद ट्रायल मुद्दे तय करने के चरण में है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कहा कि वसीयत में संपत्ति का विवरण नहीं है और इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि एक बार वसीयत का विरोध किए जाने के बाद, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। संशोधन की योग्यता को

देखते हुए संशोधन को खारिज कर दिया गया था जो इस स्तर पर अनुज्ञेय नहीं है। इस प्रकार, विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि विवादित आदेश कायम रहने योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. उत्तरवादी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुति का जोरदार विरोध करते है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वसीयत जाली और मनगढ़ंत है क्योंकि उसी व्यक्ति ने पहले याचिकाकर्ता के अन्य भाइयों के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित किया था और उसके बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु से केवल 16 पहले, यह वसीयत अस्तित्व में आई है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि संशोधन याचिका में कहीं भी मूल अभिवचनों में संशोधन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है और यह अस्पष्ट भी है क्योंकि यह खुलासा नहीं करता है कि संशोधन याचिका में उल्लिखित संपत्ति को अभिवचनों के हिस्से में कहां जोड़ा जाना चाहिए। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसे कायम रखने की आवश्यकता है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उत्तरवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करते हैं।

6. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है। संहिता के आदेश VI नियम 17 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

> "*17. दलीलों में संशोधन- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को अपनी दलीलों को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे, जो पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो:*

बशर्ते कि विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था।"

7. न्यायालय को पक्षकारों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान मामले में, वसीयत की प्रामाणिकता का मुद्दा विषय वस्तु है। प्रोबेट अदालत का क्षेत्राधिकार केवल यह विचार करने तक सीमित है कि वसीयत वास्तविक है, इसे वसीयतकर्ता द्वारा अच्छी मानसिक स्थिति में निष्पादित किया गया था, क्या वसीयत को विधिवत सत्यापित किया गया था और वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था। कानून का प्रतिस्थापित सिद्धांत है कि प्रोबेट अदालत, वाद संपत्तियों के स्वामित्व या संपत्तियों के अस्तित्व के सवाल को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा और अन्य** के मामलों में, **(2008) 4 एस. सी. सी. 300** और **ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम कामता देवी और अन्य** के मामलों में, (1953) 1 एस. सी. सी. 295 में दिए गए फैसलों पर भरोसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रोबेट याचिका में संशोधन के माध्यम से जो मांग की गई है, वह प्रोबेट याचिका के साथ संलग्न अनुसूची में कुछ संपत्तियों को सम्मिलित करना है। इस संशोधन का प्रोबेट के विषय से कोई लेना-देना नहीं है जो वसीयत है जिसमें संपत्तियों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुसूची मे दी गई संपत्ति, वसीयतकर्ता की संपत्ति हैं और कुछ संपत्ति का उल्लेख किया जाना बाकी है। दावे का प्रतिवाद प्रतिवादी द्वारा किया जाता है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, स्वामित्व का

निर्णय करना प्रोबेट अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इस कारण से प्रोबेट याचिका के साथ संलग्न अनुसूची में संपत्तियों को घटाना या जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्थापित कानून है कि एक वसीयतकर्ता केवल अपने हिस्से की सीमा तक ही संपत्ति वसीयत कर सकता है और यदि संपत्ति उस हिस्से से अधिक है, तो उस सीमा तक, वसीयतकर्ता को केवल वसीयतकर्ता के हिस्से की सीमा तक ही संपत्ति विरासत में मिलेगी।

8. इसलिए, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मुझे परिवीक्षाधीन मामला संख्या 9 सन् 2016 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश VIII, गोपालगंज द्वारा पारित दिनांक 16.05.2017 के प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है और इसकी पुष्टि की जाती है।

9. तदानुसार, तत्काल दीवानी विविध याचिका खारिज कर दी जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुन्द/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।